FIRST INFORMATION REPORT
Under Section 173 B.N.S.S.
(प्रथम सूचना रिपोर्ट)
अंतर्गत धारा 173 बी. एन. एस. एस.

1. District (जिला): ACB DISTRICT P.S. (थाना): C.P.S Jaipur Year (वर्ष): 2025

2. FIR No. (प्र.सू.रि.सं): 0292 Date and Time of FIR (एफआईआर की तिथि/समय): 13/11/2025 16:20 बजे

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धाराएँ)
1	भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (2018 के अधिनियम संख्या 16 द्वारा संशोधित)	7

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना):
   1. Day(दिन): दरमियानी दिन Date From (दिनांक से): 30/10/2025 Date To (दिनांक तक): 11/11/2025
      Time Period (समय अवधि): पहर Time From (समय से): 11:00 बजे Time To (समय तक): 14:25 बजे
   (b) Information received at P.S. (थाना जहाँ सूचना प्राप्त हुई): Date (दिनांक): 13/11/2025 Time (समय): 11:00 बजे
   (c) General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ) : Entry No. (प्रविष्टि सं.): 002 Date & Time (दिनांक एवं समय) 13/11/2025 16:20:57 बजे

4. Type of Information (सूचना का प्रकार): लिखित

5. Place of Occurrence (घटनास्थल):
   1. (a) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा और दूरी): SOUTH-EAST, 85 किमी Beat No. (बीट सं.) : NOT APPLICABL
      (b)Address(पता): CHAY KI HOTAL KE PASS, NAGAUR BYPASS THIRAIYA, MERTA CITY
      (c In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि थाना सीमा के बाहर हैं तो)
      Name of P.S (थाना का नाम): District(State) (जिला (राज्य)):

6. Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):

(a) Name(नाम): SURENDRA SINGH

(b) Father's Name (पिता का नाम): LIKHAMARAM JAT

(c) Date/Year of Birth (जन्म तिथि/ वर्ष): 1995 (d)Nationality(राष्ट्रीयता): INDIA

(e) UID No(यूआईडी सं.):

(f) Passport No. (पासपोर्ट सं.):
Date of Issue (जारी करने की तिथि): Place of Issue (जारी करने का स्थान):

(g) Id details (Ration Card,Voter ID Card,Passport,UID No.,Driving License,PAN) (पहचान विवरण(राशन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र,पारपत्र,आधार कार्ड सं,ड्राइविंग लाइसेंस,पैन)):

S.No.	Id Type	Id Number

(h) Occupation (व्यवसाय):

(i) Address(पता):

S.No. (क्र. सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	वर्तमान पता	DANGAWAS, MERTA CITY, MERTA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA
2	स्थायी पता	DANGAWAS, MERTA CITY, MERTA CITY, NAGAUR, RAJASTHAN, INDIA

(j) Phone number (दूरभाष न.): Mobile (मोबाइल न.): [redacted]

7. Details of known/suspected/unknown accused with full particulars (ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्त का पुरे विवरण सहित वर्णन):

Accused More Than(अज्ञात आरोपी एक से अधिक हो तो संख्या):

S.No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Address (पता)
1	RAMSWAROOP		पिता:JASKARAN	1. ROTOO,JAYAL,NAGAUR,RAJA

8. Reasons for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):

9. Particulars of properties of interest (Attach separate sheet, if necessary) (सम्बन्धित सम्पत्ति का विवरण(यदि आवश्यक हो, तो अलग पृष्ट नत्थी करें)):

S.No. (क्र.सं.)	Property Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य(रु में))
1	सिक्के और मुद्रा	रुपये		20,000.00

10. Total value of property stolen(In Rs/-) (चोरी हुई संपत्ति का कुल मूल्य(रु में)): 20,000.00

11. Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण न., यदि कोई हो):

S.No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.आई.डी.बी. संख्या)

12. First Information contents (Attach separate sheet, if necessary) (प्रथम सूचना तथ्य(यदि आवश्यक हो , तो अलग पृष्ठ नत्थी करे)):

सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर, विषय - रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने बाबत। महोदया जी, निवेदन है कि मैं सुरेन्द्रसिंह पुत्र लिखमाराम जी, उम्र 30 वर्ष, निवासी डांगावास पुलिस थाना मेड़तासिटी जिला नागौर की अर्ज इस प्रकार है कि मेरे खिलाफ पुलिस थाना मेड़तासिटी में मुकदमा संख्या 124/2025 दर्ज है। जिसकी जांच श्री रामस्वरूप ASI द्वारा की जा रई है। मेरे खिलाफ दरज मुकदमे में मदद करने व मेरे अन्य परिवार वालो को गिरफ्तार नहीं करने की अवज में 50 हजार (आधी पेटी) रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं अपने वाजिब काम के बदले रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। आरोपी से मेरी कोई रंजिश व पुराना उधार लेन-देन नहीं है। कानूनी कार्यवाही करावें। भवदीय एसडी सुरेन्द्र सिंह मो. [redacted] दिनांक 30.10.2025 ट्रेप कार्यवाही प्रारम्भ की गई। एसडी कल्पना सोलंकी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्र.नि.ब्यूरो, नागौर 30.10.25 कार्यवाही पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर निवेदन है कि दिनांक 30.10.2025 को वक्त 10.18 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने मोबाईल नम्बर [redacted] से मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मोबाईल पर कॉल कर अवगत करवाया कि मैं गांव डांगावास से सुरेन्द्र सिंह बोल रहा हूं। मेरे खिलाफ पुलिस थाना मेड़तासिटी, जिला नागौर में मुकदमा नम्बर 124/2025 दर्ज है। मेरे उक्त मुकदमे की जांच श्री रामस्वरूप जी ए.एस.आई. कर रहे है, मेरे उक्त मुकदमें में श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. मदद करने एवं मेरे अन्य परिवारजनों को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहे है। मैं उक्त भ्रष्ट ए.एस.आई. को रंगे हाथ गिरफ्तार करवाना चाहता हूं जिस पर परिवादी को एसीबी की कार्यप्रणाली समझाकर अग्रिम कार्यवाही करने का आश्वासन देकर हिदायत मुनासिब कर एसीबी चौकी नागौर उपस्थित होकर रिपोर्ट देने बाबत पूछा तो परिवादी ने बताया कि मैं अभी नागौर में ही हूं, थोड़ी देर बाद आपके कार्यालय में उपस्थित होकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर दूंगा। जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को गोपनीयता बनाये रखते हुए कार्यालय उपस्थित आने की हिदायत की गई। थोड़ी देर बाद परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री लिखमाराम, जाति जाट, उम्र 30 वर्ष, निवासी डांगावास, तहसील व पुलिस थाना मेड़तासिटी, जिला नागौर पूर्व वार्तानुसार उपस्थित कार्यालय आया व एक हस्त लिखित प्रार्थना पत्र मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी को इस आशय का प्रस्तुत किया कि "सेवामें, श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर, विषय - रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ने बाबत। महोदया जी, निवेदन है कि मैं सुरेन्द्र सिंह पुत्र लिखमाराम जी, उम्र 30 वर्ष, निवासी डांगावास पुलिस थाना मेड़तासिटी जिला नागौर की अर्ज इस प्रकार है कि मेरे खिलाफ पुलिस थाना मेड़तासिटी में मुकदमा संख्या 124/2025 दर्ज है। जिसकी जांच श्री रामस्वरूप ASI द्वारा की जा रई है। मेरे खिलाफ दरज मुकदमे में मदद करने व मेरे अन्य परिवार वालो को गिरफ्तार नहीं करने की अवज में 50 हजार (आधी पेटी) रूपये रिश्वत राशि की मांग कर रहा है। मैं अपने वाजिब काम के बदले रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूं। तथा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूं। आरोपी से मेरी कोई रंजिश व पुराना उधार लेन-देन नहीं है। कानूनी कार्यवाही करावें।" जिस पर प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। मजिद दरियाफ्त पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह ने बताया कि मेरे विरूद्ध पुलिस थाना मेड़तासिटी में एक मुकदमा दर्ज है, जिसकी जांच श्री रामस्वरूप जी ए.एस.आई. कर रहे है, पूर्व में उक्त मुकदमें में मुझे गिरफ्तार किया गया था, उक्त मुकदमें में मेरी मदद करने एवं मेरे अन्य परिवारजनों को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. आधी पेटी(पच्चास हजार) रूपये रिश्वत मांग कर रहा है, परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह ने रिपोर्ट में अंकित तथ्यों को सही होना बताते हुए प्रार्थना पत्र स्वयं के हस्तलेख में लिखा होना व स्वयं के हस्ताक्षर होना बताया। परिवादी ने यह भी बताया कि मेरे मित्र श्री विनोद को साथ लेकर जाउंगा तो रामस्वरूप ए.एस.आई. आसानी से बात कर लेगा। परिवादी की उक्त लिखित रिपोर्ट तथा मजीद दरियाफ्त से मामला रिश्वत की मांग का पाया जाने पर रिश्वती मांग का गोपनीय सत्यापन कराया जाना आवश्यक होने से कार्यालय आलमारी में से कार्यालय का डिजिटल टेप रिकॉर्डर निकालकर नया मैमोरी कार्ड स्थापित कर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को उसे ऑपरेट करने की समझाईश की गई तथा उसे समझाया कि वह श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. के पास जाकर अपने कार्य के संबंध में व रिश्वती लेन देन के सम्बन्ध में वार्ता करें तथा कार्यालय के श्री मोहनराम हैड कानि0 64 को तलब कर परिवादी से परिचय करवाते हुए कार्यालय का डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड सुपुर्द कर रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता हेतु परिवादी के साथ जाने की हिदायत कर पुलिस थाना मेड़तासिटी के लिए रवाना किया गया। वक्त 05.40 पी.एम. पर श्री मोहन राम हैड कानि0 64 मय परिवादी श्री

सुरेन्द्र सिंह के उपस्थित कार्यालय आया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को पेश किया। परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह ने बताया कि यहां से हम दोनों मोटरसाईकल से रवाना होकर मेड़ता सिटी पहुंचे जहां मैने विनोद से सम्पर्क किया, तो विनोद ने कहा कि थाने पर आ जा। जिस पर हम दोनों पुलिस थाना मेड़तासिटी के समीप पहूंचे, जहां पर श्री मोहनराम हैड कानि. ने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर मुझे सुपुर्द किया, जिस पर मैं रवाना होकर पुलिस थाना मेड़तासिटी के अन्दर पहूंचा, जहां मुझे मेरा मित्र विनोद उपस्थित मिला और बताया कि ए.एस.आई. साहब अभी बाहर है। जिस पर मैंने और मेरे मित्र विनोद ने काफी देर इंतजार किया। कुछ समय पश्चात मेरे मित्र विनोद ने श्री रामस्वरूप जी ए. एस.आई. से जरिये मोबाईल बात की तो नागौर बाईपास टेफे ट्रेक्टर ऐजेंसी के पास बुलाया, जिस पर हम दोनो थाने से रवाना होकर टेफे ट्रेक्टर ऐजेंसी के पास पहूंचे तो श्री रामस्वरूप जी ए.एस.आई. थाने की गाड़ी व स्टाफ के साथ उपस्थित मिले, हमारे को साईड में एक तरफ ले जाकर पहले तो गाली गलौच किया तत्पश्चात मेरे निवेदन पर मेरे से आधी पेटी (पच्चास हजार रूपये) की मांग कर मेरे द्वारा निवेदन करने पर पांच हजार रूपये कम किये है, पैंतालीस हजार रूपये जल्दी से जल्दी देने को कहा है। बातचीत के पश्चात मैं विनोद को वहीं छोड़कर श्री मोहनराम हैड कानि. के पास उपस्थित आया, जिस पर इन्होने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया। ताबाद हम मेड़ता सिटी से रवाना होकर यहां उपस्थित आये। श्री मोहनराम हैड कानि. ने परिवादी के उक्त कथनों की ताईद की। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर को चालू कर सुना गया तो रिकॉर्ड वार्ता में मामला रिश्वत राशि की मांग का पाया गया। जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह को रिश्वत राशि की व्यवस्था बाबत् पुछा गया तो परिवादी ने बताया कि अभी तो मेरे पास रूपये की व्यवस्था है नहीं, मैं कल तक व्यवस्था कर आपसे सम्पर्क कर लूंगा। जिस पर परिवादी को उपरोक्तानुसार रिश्वत राशि 45000/- रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित चौकी आने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर परिवादी का सकूनत के लिए रूख्सत किया गया। दिनांक 31.10.2025 को मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के मोबाईल पर कॉल कर वार्ता की गई तो परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने अवगत कराया कि मेरे से अभी रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं हुई है, मेरे पास कल शाम तक पैसों की व्यवस्था होने पर परसों आपके कार्यालय में उपस्थित हो जाउंगा। जिस पर परिवादी को गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत की गई। ताबाद पुनः दिनांक 07.11.2025 को वक्त 11.15 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पूर्व वार्तानुसार ब्यूरो चौकी उपस्थित आया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी से आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि की व्यवस्था बाबत् पूछा गया तो बताया कि मेरे द्वारा समय पर रिश्वत राशि की व्यवस्था नहीं होने पर श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. द्वारा दिनांक 01.11.2025 को मेरे छोटे भाई रामकुंवार को थाने पर बुलाकर डराया एवं धमकाया, जिस पर मेरे छोटे भाई रामकुंवार ने डरकर इधर उधर से व्यवस्था कर 30,000 /- रूपये श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. को दे दिये है। मेरे भाई ने उक्त बात मेरे को दुसरे दिन शाम को बतायी। अब श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. मेरे मित्र श्री विनोद व अन्य लोगों के मार्फत 20,000/- रूपये रिश्वत राशि और देने हेतु दबाव बना रहा है तथा नहीं देने पर परिवारजनों को गिरफ्तार करने की धमकी दे रहा है। जिस पर परिवादी को 20,000/- रूपये रिश्वत राशि की व्यवस्था बाबत् पूछा गया तो परिवादी ने बताया कि मैं 2-3 दिन में रूपयों की व्यवस्था कर आपको निवेदन कर दूंगा। जिस पर परिवादी को उपरोक्तानुसार रिश्वत राशि 20,000/-रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित चौकी आने व गोपनीयता बनाये रखने की हिदायत कर सकूनत के लिए रूख्सत किया गया। तत्पश्चात दिनांक 11.11.25 को वक्त 10.30 ए.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह पूर्व निर्देशानुसार आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि 20,000/- रूपये की व्यवस्था कर उपस्थित चौकी आया। जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। वक्त 10.45 ए.एम. पर श्री प्रेमाराम कानि0 नं0 218 को दो स्वतन्त्र गवाहान की तलबी हेतु सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर के नाम की तहरीर देकर कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर को रवाना किया गया। थोड़ी देर बाद श्री प्रेमाराम कानि0 मय दो स्वतन्त्र गवाहान श्री रुचिर पारीक पुत्र श्री ओमप्रकाश पारीक, जाति ब्राहम्ण, उम्र 32 वर्ष, निवासी खेड़ी खिंवसी, पुलिस थाना पीलवा, तहसील परबतसर, जिला डीडवाना-कुचामन, हाल सहायक राजस्व अधिकारी, कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर व श्री कमलेश पुत्र श्री लूणाराम, जाति खटीक, उम्र 25 वर्ष, निवासी शास्त्री नगर, राजकीय आई.टी.आई. कॉलेज के पास, नागौर, पुलिस थाना कोतवाली, तहसील व जिला नागौर हाल वाणिज्यिक सहायक-II, कार्यालय सहायक अभियन्ता (ग्रामीण) ए.वी.वी.एन.एल. नागौर के उपस्थित कार्यालय आये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान से परिचय किया जाकर की जाने वाली ट्रेप कार्यवाही के बारे में अवगत करवाते हुए परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट उक्त दोनों स्वतंत्र गवाहान को पढकर सुनाई गई तथा रिश्वत मांग सत्यापन की दर्ज वार्ता को डिजिटल टेप रिकॉर्डर को चालू कर मुख्य-मुख्य अंश सुनाये गये। जिस पर दोनों गवाहान ने सन्तुष्ट होकर स्वतन्त्र गवाह बनने की सहमति प्रदान की, जिस पर अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई। वक्त 11.45 ए.एम. पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को आरोपी को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने का कहने पर उसने अपने पास से पांच-पांच सौ रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये भारतीय चलन मुद्रा के अपनी जेब में से निकाल कर पेश किये। जिनका विवरण इस प्रकार है - 3KS 346294, 6PC 983886, 8VT 056593, 7MT 127240, 8NV 940028, 8GF 716755, 2BR 256821, 9CQ 656606, 7HD 904219, 7SR

804697, 8VP 600579, 4TE 449675, 2SG 631552, 7LK 867488, 2FV 076041, 5LV 380875, 4BV 794477, 7AL 496216, 8QT 502872, 6UL 581566, 4RP 073617, 9DM 522076, 0CT 515709, 6MH 092565, 5TR 674397, 9AF 868364, 8RL 392556, 8AQ 499773, 6QS 142588, 9DF 826924, 7SN 566021, 9ET 085881, 7RT 135419, 4GM 008161, 9EL 399751, 1GV 027685, 9DN 651104, 2FL 112915, 1WA 032465, 2ES 256980, तत्पश्चात् श्रीमती संगीता महिला कानि0 नं. 332 से कार्यालय की अलमारी में से फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा निकलवाया जाकर कार्यालय कक्ष में स्थित टेबल के उपर अखबार पर रखकर उपरोक्त सभी नोटों के दोनों ओर हल्का-हल्का फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया जाकर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह की जामा तलाशी गवाह श्री रुचिर पारीक से लिवाई गई तो कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं पाई गई। फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोटों को श्रीमती संगीता महिला कानि0 से परिवादी के पहनी हुई जींस पेंट की दायीं जेब में कुछ भी शेष नहीं छोड़ते हुए रखवाये गये। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को बताया गया कि इन नोटों को तब तक नहीं छुए जब तक आरोपी रिश्वत की मांग नही करें तथा उसके द्वारा रिश्वत मांगने पर उक्त फिनोफ्थलीन पाउडर लगे नोट अपनी जेब से निकाल कर उसे देवे तथा अपने कार्य से सम्बन्धित वार्ता करें। आरोपी द्वारा रिश्वत राशि प्राप्त कर लेने पर ट्रेप दल के सदस्यों को देखते हुए अपने सिर पर हाथ फेरकर ईशारा करें तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को मिस कॉल भी करें। यह भी ध्यान रखे कि आरोपी रिश्वत राशि प्राप्त करने के बाद कहां रखता है या छुपाता है। दोनों गवाहों को भी निर्देश दिए गये कि यथा सम्भव परिवादी के आस-पास रहकर परिवादी व आरोपी के मध्य होने वाले रिश्वती लेन-देन व इनके बीच होने वाली वार्ता को देखने व सुनने का प्रयास करें। तत्पश्चात् ट्रेप बॉक्स में से एक प्लास्टिक का डिस्पोजल गिलास निकालकर उसमें साफ पानी भरवाकर एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल रंगहीन रहा। गिलास के इस रंगहीन घोल में श्रीमती संगीता महिला कानि0 के दाहिने हाथ की अंगुलियों व अगूंठे को डुबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुंलाबी हो गया। इस प्रकार दोनों गवाहों व परिवादी को सोडियम कार्बोनेट व फिनोफ्थलीन पाउडर की रासायनिक प्रक्रिया का महत्व दृष्टान्त देकर समझाया गया। फिनोफ्थलीन पाउडर का डिब्बा श्रीमती संगीता महिला कानि0 से पुनः कार्यालय की अलमारी में रखवाकर गिलास के मिश्रण को बाहर फिंकवाया गया तथा अखबार जिस पर रखकर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया है व डिस्पोजल गिलास को जलवाया जाकर श्रीमती संगीता महिला कानि0 के हाथों को साबुन व पानी से साफ धुलवाये गये । समस्त ट्रेप दल सदस्यों के हाथ साफ धुलवाकर आवश्यक निर्देश दिए गये तथा ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाले उपकरणों को साफ धुलवाकर ट्रेप बॉक्स में रखवाए गये। परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह को वक्त रिश्वत लेन-देन होने वाली वार्ता को रिकॉर्ड करने के लिये कार्यालय के डिजिटल वॉयस रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड को ऑपरेट करने की विधि समझाकर सुपुर्द किया गया। पृथक से फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट एवं दृष्टान्त फिनोफ्थलीन पाउडर एवं सोडियम कार्बोनेट की फर्द तैयार की जाकर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर शामिल पत्रावली की गई तथा श्रीमती संगीता म0कानि0 को चौकी नागौर पर रहने की हिदायत दी गई तथा मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह व श्री मोहन राम हैड कानि0 नं0 64 को मय कार्यालय के डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड के परिवादी की निजी मोटरसाईकिल से आरोपी श्री रामस्वरूप से मिलकर रिश्वत राशि लेन-देन हेतु मेड़ता सिटी के लिए आगे-आगे रवाना कर पिछे-पिछे मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, कल्पना सोलंकी मय स्वतंत्र गवाहान श्री रुचिर पारीक व श्री कमलेश मय ट्रेप दल के सदस्य श्री मुकेश कुमार हैड कानि0 39, श्री बालाराम कानि. 554, श्री राजेन्द्र झूरिया कानि. 150, श्री नेमीचन्द कानि0 405, श्री कानाराम कानि0 532, श्री प्रेमाराम कानि0 218, श्री भगवान सिंह कनिष्ठ सहायक व श्री सुरेन्द्र सिंह चालक कानि. नं. 355 के जरिये दो प्राईवेट वाहनों मय ट्रेप बॉक्स व लेपटॉप-प्रिन्टर के वास्ते ट्रेप कार्यवाही हेतु चौकी नागौर से फिगरा उपरोक्त के रवाना सुदा कस्बा मेड़ता सिटी के बाहर नागौर बाईपास पर पहुंची। जहां रोड के एक तरफ दोनों प्राईवेट वाहनों को साईड में खड़ा किया, वहां पर श्री मोहनराम हैड कानि. व परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह उपस्थित मिले। परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह ने बताया कि आरोपी इस तिराहा पर स्थित चाय की दुकान पर मेरे मित्र से हुई वार्तानुसार बैठा मेरा इंतजार कर रहा है, जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्रसिंह को आरोपी से सम्पर्क कर अपने कार्य से संबंधित वार्ता करने व रिष्वत राषि लेन-देन हेतु डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर चालू कर चाय की दुकान की ओर रवाना कर पीछे-पीछे श्री मोहनराम हैड कानि. को रवाना किया। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय हमराहियान ट्रेप दल के सदस्य अपनी उपस्थिति को छुपाते हुए तिराहे के आस पास खड़े होकर परिवादी के पूर्व निर्धारित ईशारे का इन्तजार करने लगे। कुछ समय पश्चात् वक्त 02.25 पी.एम. पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने नागौर बाईपास तिराहा, मेड़ता सिटी स्थित चाय की दुकान के सामने कुर्सी पर बैठे-बैठे ही अपने सिर पर हाथ फेरकर रिश्वत स्वीकृति का पूर्व निर्धारित ईशारा किया। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मय उपरोक्त स्वतंत्र गवाहान एवं ब्यूरो स्टाफ साथ लेकर परिवादी के पास नागौर बाईपास तिराहा, मेड़ता सिटी पर स्थित चाय की दुकान पर पहूंची, परिवादी से वॉयस रिकॉर्डर प्राप्त कर स्वीच ऑफ किया, जिस पर परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह ने स्वयं के सामने की कुर्सी पर बैठे व्यक्ति की तरफ ईशारा कर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को बताया कि यही व्यक्ति श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. है, जिनसे मैं अभी-अभी इसी जगह पर मिला तथा मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिजनों को गिरफ्तार नहीं करने एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान तय हुई रिश्वत राशि के संबंध में बातचीत कर मांग के अनुसार शेष रिश्वत राशि 20,000/- रूपये अपनी जेब से

निकाल कर दिये तो श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. द्वारा रिश्वत राशि अपने हाथ में लेकर पहनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये। जिस पर मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी के बताये अनुसार सामने कुर्सी पर बैठे व्यक्ति को अपना व हमराहियान का परिचय देकर आने का मकसद बताते हुए उसका परिचय पूछा तो, अपना नाम श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जसकरण जाति विश्नोई उम्र 55 वर्ष, निवासी रोटू, पुलिस थाना जायल जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मेड़तासिटी, जिला नागौर होना बताया। जिनसे मौजूदा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से रिश्वती राशि प्राप्त करने व परिवादी के कार्य बाबत पूछने पर बताया कि उक्त श्री सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध पुलिस थाना मेड़ता सिटी में मुकदमा संख्या 124/2025 पंजिबद्ध होकर मन् सहायक उप निरीक्षक के पास अनुसंधानाधीन है। परिवादी से ली गई रिश्वत राशि के बारे में पूछने पर घबराकर इधर उधर देखने लगा तथा काफी देर सोचने के बाद बताया कि मैंने सुरेन्द्र से कोई रिश्वत राशि नहीं ली है। इसने स्वयं अपनी मर्जी से मुझे यहां बुलाकर पैसे दिये है, जो कि मेरे पहनी पेन्ट की पीछे की जेब में है। रिश्वत राशि आरोपी की जेब में होने की पुष्टि होने पर मेरे निर्देश पर श्री रामस्वरूप, सहायक उप निरीक्षक का दायां व बांया हाथ कलाई के उपर से क्रमश कानि0 श्री कानाराम कानि. व श्री राजेन्द्र कानि. से पकड़वाये गये। (नोट - आरोपी मुख्य राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित चाय की दूकान पर मिलने एवं आमजनों की आवाजाही अधिक होने एवं मौके पर भीड़भाड़ होने की संभावना को मध्यनजर रखते हुए आरोपी को सुरक्षा की दृष्टि से अग्रिम कार्यवाही हेतु मय परिवादी, गवाहान, ट्रेप दल के गाड़ियों में बिठाकर पुलिस थाना मेड़ता सिटी पहूंच अग्रिम ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना मेड़ता सिटी में शुरू की गई।) मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह से रिश्वत राशि बरामदगी के पूर्व एक बार पुनः आरोपी की रिश्वत मांग व लेनदेन के सम्बन्ध में पूछा गया तो परिवादी सुरेन्द्र सिंह ने बताया कि मेरे विरूद्ध पुलिस थाना मेड़ता सिटी में दर्ज प्रकरण में मेरे परिजनों को गिरफ्तार नहीं करने एवं मेरी मदद करने की एवज में श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. द्वारा दिनांक 30.10.2025 को मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 50,000/- रूपये रिश्वत की मांग कर 45,000/- रूपये जल्द से जल्द देना तय किया। तत्पश्चात् मेरे से रिश्वत राशि की व्यवस्था समय पर नहीं होने से श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. द्वारा मेरे भाई श्री रामकुंवार को थाने बुलाकर डरा धमकाकर 30,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त कर ली गई तथा 20,000/- रूपये रिश्वत राशि लेने हेतु अलग-अलग व्यक्तियों के मार्फत मेरे उपर दबाव बनवाया गया। जिस पर आज मैंने इनसे मिलकर मेरे विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिजनों को गिरफ्तार व परेशान नहीं करने तथा मेरी मदद करने के संबंध में बातचीत कर पूर्व में मेरे भाई से प्राप्त रिश्वत राशि के अतिरिक्त शेष रिश्वत राशि 20,000/- रूपये इनको दिये तो इन्होने अपने हाथ में लेकर पहनी पेन्ट के पीछे की दाहिनी जेब में रख लिये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा श्री रामस्वरूप, सहायक उप निरीक्षक से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह द्वारा बताये तथ्यों के सम्बन्ध मे पूछा गया तो पहले तो मायुस होकर इधर-उधर देखने लगा, तसल्लीपूर्वक पूछने पर बताया कि आज से पहले मैंने इससे व इसके परिजनों से कोई रिश्वत राशि प्राप्त नहीं की है तथा ना ही किसी प्रकार का दबाव बनाया है। आज भी इसने स्वैच्छा से मुझे यहां बुलाकर पैसे दिये हैं। जो मेरी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब में है। रिश्वत लेने की ताईद होने पर ट्रेप बॉक्स में से दो प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास निकलवाकर दोनों गिलासों में साफ पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। एक गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामस्वरूप ए.एस.आई के दाहिनें हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग हल्का गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः RH-1 व RH-2 अंकित किया गया। दूसरे गिलास के रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. के बांये हाथ की अंगुलियों व अंगूठे को डूबोकर धुलवाया गया तो घोल का रंग मटमैला हो गया। जिसे भी दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को शिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः LH-1 व LH-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये। मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गवाह श्री रुचिर पारीक से आरोपी श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. की जामा तलाशी लिवाई गई तो आरोपी के पहनी हुई पेंट की पीछे की दाहिनी जेब में 500-500 रूपये के नोट मिले, जिनका मिलान दोनों स्वतंत्र गवाहान से पूर्व में बनी फर्द पेशकशी व सुपुर्दगी नोट से करवाया गया तो हुबहू वही नोट होना पाये गये। जिनको गवाह श्री रुचिर पारीक से गिनवाये गये तो 500-500 रूपये के 40 नोट कुल 20,000/- रूपये होना बताया जाकर मुताबिक फर्द पेशकशी होना बताया। आरोपी श्री रामस्वरूप सहायक उप निरीक्षक से बरामद रिश्वत राशि 20,000/- रूपये के 500-500 रूपये के 40 नोटों का विवरण इस प्रकार है आरोपी से बरामद उपरोक्त 500-500 रूपये के 40 नोटों (20,000/- रूपये) को कागज की चिट में सिल्ड चिट कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर रिश्वती राशि कब्जा एसीबी ली गई। तत्पश्चात एक प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास में पानी भरवाकर सोडियम कार्बोनेट पाउडर का प्रक्रियानुसार घोल तैयार किया गया। तत्पश्चात् गिलास के उक्त रंगहीन घोल में आरोपी श्री रामस्वरूप के पहनने हेतु दूसरी पेंट की व्यवस्था कर पहनी पेंट बरंग डार्क ग्रे को सम्मान पूर्वक उतरवाकर पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब को उलटकर धुलवाया गया तो घोल का रंग गुलाबी हो गया। जिसे दो साफ कांच की शिशियों में आधा-आधा डालकर शिशियों को सिल्ड चिट कर मार्क क्रमशः P-1 व P-2 अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा पेंट बरंग डार्क ग्रे को एक सफेद कपड़े की थैली में डालकर सील चिट कर मार्क P अंकित कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर कब्जा एसीबी लिया गया। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी श्री रामस्वरूप सहायक उप निरीक्षक से परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध दर्ज प्रकरण की पत्रावली के

सम्बन्ध में पूछा गया तो आरोपी श्री रामस्वरूप सहायक उप निरीक्षक द्वारा उक्त मुकदमे की जांच स्वयं के जिम्मे होकर लम्बित होना बताकर पत्रावली अनुसंधान कक्ष में स्वयं की टेबल पर होना बताया। जिस पर मुकदमा संख्या 124/2025 पुलिस थाना मेड़ता सिटी की मूल पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की जाकर प्रमाणित प्रति के प्रथम पेज व अंतिम पेज पर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर क्रमशः पेज सं. 01 से 40 तक कब्जा एसीबी ली गई। परिवादी को पूर्व में दिये गये डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में वक्त रिश्वत लेन देन परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं आरोपी श्री रामस्वरूप ए.एस.आई. के मध्य रूबरू हुई रिकॉर्ड वार्ता को सुना गया तो रिश्वत राशि लेन-देन की पुष्टि होना पाया गया। जिसकी फर्द ट्रांसक्रिप्ट अलग से तैयार कर शामिल पत्रावली की जायेगी। इस प्रकार आरोपी श्री रामस्वरूप, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी की मदद करने एवं परिजनों को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 45,000/- रूपये जल्द से जल्द देना तय कर परिवादी से रिश्वत राशि की व्यवस्था समय पर नहीं होने से परिवादी के भाई श्री रामकुंवार को थाने बुलाकर डरा धमकाकर 30,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा शेष 20,000/- रूपये रिश्वत राशि बाबत् अलग-अलग व्यक्तियों के मार्फत परिवादी पर दबाव बनाकर मांग के अनुसरण में आज दिनांक 11.11.2025 को रिश्वत राशि 20,000/- रूपये नागौर बाईपास तिराहा, मेड़ता सिटी पर स्थित चाय की दूकान पर ग्रहण करने एवं रिश्वती राशि आरोपी श्री रामस्वरूप सहायक उप निरीक्षक के पहनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जसकरण जाति विश्नोई उम्र 55 वर्ष, निवासी रोटू, पुलिस थाना जायल जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाने से आरोपी श्री रामस्वरूप, सहायक उप निरीक्षक को जुर्म से आगाह कर जरिये फर्द गिरफ्तार किया जाकर फर्द गिरफ्तारी पृथक से मुर्तिब की जायेगी। उक्त बरामदगी कार्यवाही की विडियोग्राफी अलग से करवाई गई, जिसकी फर्द पृथक से मुर्तिब होगी। तत्पश्चात मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा स्वतंत्र गवाहान की उपस्थिति में परिवादी की निशांदेही पर घटनास्थल का निरीक्षण किया जाकर फर्द नक्शा मौका निरीक्षण घटनास्थल मुर्तिब कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। बाद कार्यवाही मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कल्पना सोलंकी मय गिरफ्तार सुदा आरोपी श्री रामस्वरूप सहायक उप निरीक्षक मय परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह एवं स्वतंत्र गवाहान मय हमराही जाब्ता के जरीये प्राईवेट वाहन मय ट्रेप बॉक्स, लेपटॉप-प्रिंटर व डिजिटल टेप रिकॉर्डर मय मैमोरी कार्ड तथा जब्त सुदा माल वजह सबूत के बाद ट्रेप कार्यवाही पुलिस थाना मेड़ता सिटी से रवाना होकर एसीबी चौकी नागौर पहुंच अग्रिम कार्यवाही शुरू की गई। ताबाद डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 30.10.2025 को हुई रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई जाकर डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के तीन पैन ड्राईव बनवाये गये। रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दो पैन ड्राईव को अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया तथा डिजिटल टेप रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड में दर्ज परिवादी व आरोपी के मध्य दिनांक 11.11.2025 को वक्त रिश्वत राशि लेन-देन हुई वार्ता को स्वतंत्र गवाहान व परिवादी के समक्ष सुन-सुनकर कम्प्यूटर से शब्द ब शब्द ट्रांसक्रिप्ट तैयार करवाई गई। तत्पश्चात् डिजिटल टेप रिकॉर्डर को कम्प्यूटर से कनेक्ट कर मैमोरी कार्ड में दर्ज वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के तीन पैन ड्राईव बनवाये गये। वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के मूल मैमोरी कार्ड की हैज वैल्यू निकालकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली की गई। ताबाद डिजिटल टेपरिकॉर्डर से मूल मैमोरी कार्ड निकालकर कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, वार्ता के दो पैन ड्राईव अलग-अलग कपड़े की थैलियों में डालकर पृथक-पृथक सिल्ड कर न्यायालय व आरोपी हेतु तथा एक पैन ड्राईव अनुसंधान अधिकारी हेतु कागज के लिफाफे में डालकर सभी पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाये जाकर आई.ओ. पैन ड्राईव शामिल पत्रावली किया गया। बरामदगी कार्यवाही में करवाई गई विडियोग्राफी का मूल मैमोरी कार्ड मोबाईल से निकालकर कार्यालय कम्प्यूटर से कनेक्ट कर एक पैन ड्राईव बनवाया जाकर कागज के लिफाफे में डालकर तथा मूल मैमोरी को कपड़े की थैली में डालकर सिल्ड कर मार्क " BM" अंकित कर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। ट्रेप कार्यवाही में अब तक तैयार की गई समस्त फर्दात एवं जब्तशुदा आर्टीकल्स पर कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, नागौर की जिस पीतल की मोहर का प्रयोग किया गया, उक्त सील की फर्द नमूना सील मुर्तिब की जाकर संबंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये। तत्पश्चात् मन् अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक द्वारा ट्रेप कार्यवाही में आरोपी से बरामद रिश्वत राशि कागज की चिट में शील्ड सुदा भारतीय चलन मुद्रा के 20,000/- रुपये, सिल्ड शुदा धोवन की शिशियां मार्क RH-1, RH-2, LH-1, LH-2 तथा P-1, P-2, कपड़े की थैली में सिल्ड सुदा पेंट मार्क P रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो अलग-अलग कपड़े की थैलियों में सील्ड सुदा मूल

मैमोरी कार्ड एफ.एस.एल. परीक्षण हेतु, रिश्वत राशि मांग सत्यापन वार्ता व वक्त रिश्वत लेन-देन वार्ता के दो-दो पृथक-पृथक सील्ड सुदा पैन ड्राईव न्यायालय व आरोपी श्री रामस्वरूप ASI हेतु एवं बरामदगी विडियोग्राफी का कपड़े की थैली में सिल्ड सुदा मूल मैमोरी कार्ड मार्क "BM" व एक कागज के लिफाफे में बन्द पैन ड्राईव को मालखाना प्रभारी श्री मोहनराम हैड कानि0 को सुपुर्द कर जमा मालखाना करवाये गये। बाद कार्यवाही परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह तथा स्वतंत्र गवाहान श्री रूचिर पारिक व श्री कमलेश को बाद ट्रेप कार्यवाही आवश्यक हिदायत कर क्रमशः सकूनत व जाय तैनातगी के लिए रुखसत किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही का समय-समय पर रनिंग नोट पृथक से तैयार किया गया। उपरोक्त ट्रेप कार्यवाही से पाया गया कि आरोपी श्री रामस्वरूप, सहायक उप निरीक्षक, पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर द्वारा परिवादी श्री सुरेन्द्र सिंह के विरूद्ध दर्ज प्रकरण में परिवादी की मदद करने एवं परिवारजनों को गिरफ्तार नहीं करने की एवज में अपने पद का दुरूपयोग कर अपने वैद्य पारिश्रमिक से भिन्न वक्त रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता 50,000/- रूपये रिश्वत राशि की मांग कर 45,000/- रूपये जल्द से जल्द देना तय कर परिवादी से रिश्वत राशि की व्यवस्था समय पर नहीं होने से परिवादी के भाई श्री रामकुंवार को थाने बुलाकर डरा धमकाकर 30,000/- रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करना तथा शेष 20,000/- रूपये रिश्वत राशि बाबत् अलग-अलग व्यक्तियों के मार्फत परिवादी पर दबाव बनाकर मांग के अनुसरण में आज दिनांक 11.11.2025 को रिश्वत राशि 20,000/- रूपये नागौर बाईपास तिराहा, मेड़ता सिटी पर स्थित चाय की दूकान पर ग्रहण करने एवं रिश्वती राशि आरोपी रामस्वरूप ए.एस.आई. के पहनी पेन्ट की पीछे की दाहिनी जेब से बरामद होने पर आरोपी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जसकरण जाति विश्नोई उम्र 55 वर्ष, निवासी रोटू, पुलिस थाना जायल जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मेड़ता सिटी, जिला नागौर का उक्त कृत्य जुर्म धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया घटित होना पाया जाता है। अतः उपरोक्त आरोपी के विरूद्व उपरोक्त वर्णित धारा में अभियोग पंजीबद्ध करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्र.नि.ब्यूरो राज0 जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है। भवदीया,Sd - (कल्पना सोलंकी) अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,नागौरa........... कार्यवाही पुलिस.........प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईपशुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री कल्पना सोलंकी अति. पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर ने प्रेषित की है मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी श्री रामस्वरूप पुत्र श्री जसकरण जाति विश्नोई उम्र 55 वर्ष, निवासी रोटू, पुलिस थाना जायल जिला नागौर हाल सहायक उप निरीक्षक पुलिस थाना मेड़तासिटी, जिला नागौर के विरूद्ध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियां नियमानुसार जारी की गई। उक्त प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी श्रीमती मीरा बेनीवाल, पुलिस निरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर को मनोनित किया गया है। उक्त की रोजनामचाआम 244 पर अंकित है। (पुष्पेन्द्र सिंह राठोड) पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर। क्रमांक 1660-63 दिनांक 13.11.2025 प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-1.विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर क्रम संख्या-1, 2- पुलिस अधीक्षक, नागौर 3-पुलिस अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, अजमेर 4-अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो नागौर। पुलिस अधीक्षक-प्रशासन, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, राजस्थान, जयपुर।

13. Action taken : Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.
(की गई कार्यवाही: चूँकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता हैं कि अपराध करने का तरीका मद सं.2 में उल्लेख धारा के तहत हैं):

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जाँच के लिए लिया गया):**

or (या)

(2) **Directed (Name of I.O.): (जाँच अधिकारी का नाम):** meera beniwal **Rank (पद):** निरीक्षक

No(सं.): **to take up the Investigation (को जाँच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or(या)**

(3) **Refused investigation due to (जाँच के लिए) :**

or (के कारण इंकार किया, या)

(4) **Transferred to P.S.(थाना):** **District (जिला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित) .

F.I.R.read over to the complainant/informant,admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant free of cost.

(शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गई, सही दर्ज हुई माना और एक प्रति निःशुल्क शिकायतकर्ता को दी गई)

R.O.A.C.(आर.ओ.ए.सी.)

14. **Signature/Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर / अंगूठे का निशान):**

Signature of Officer in charge, Police Station (थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Signed by: Pushpendra Singh Rathore
Location: Rajasthan,IN
Date: 1[illegible]1/2025 1[illegible]2

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Name(नाम): Pushpendra Singh Rathore

Rank (पद): SP (Superintendant of Police)

No(सं.):

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused:(If known/seen)
(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण :(यदि ज्ञात / देखा गया))

S.No.(क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height(cms.) (कद(से.मी))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1970				

Deformities/ Peculiarities (विकृतियाँ/ विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eyes (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit(s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language /Dialect (भाषा /बोली)	Place Of(का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (धवल रोग)	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.
(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है |)